न्यायालय –मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,खीरी।

मु0नं0 188/19

सरकार बनाम विनोद

<u>बयान अभियुक्त अन्तर्गत धारा 251दं0प्र0सं</u>

नाम पिता उम्र पेशा

निवासी थाना जिला खीरी ।

प्रश्न– आप अभियुक्त पर आरोप है कि दिनांक 22–5–2018 समय 4.40 पी0एम0 स्थान सरखना पश्चिम थाना पलिया जिला खीरी में आपको आबकारी पुलिस बल द्वारा गिरफतार किया गया तो आपके कब्जे से अवैध रूप से 08 लीटर कच्ची शराब बरामद किया जिसको रखने का आपके पास कोई लाइसेंस नहीं था? इस सम्बंध में आपको क्या कहना है ।

उत्तरः–

प्रश्न–2 क्या आप स्वेच्छया से अपना अपराध स्वीकार कर रहे है?

उत्तर–

प्र.श्न–3 क्या आपको और कुछ कहना है?

उत्तर–

सुनकर तस्दीक किया।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
खीरी।
23–7–2019

<u>आदेश</u>

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त विनोद न्यायालय में उपस्थित। उसकी ओर से जुर्म स्वकारोक्ति प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्त विनोद के विरूद्ध मु0अ0संख्या 573/18 अन्तर्गत धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। अभियुक्त ने स्वेच्छा से अपना जुर्म स्वीकार किया है। अतः अभियुक्त को उसकी जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया जाता है तथा निम्न अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त विनोद को उसकी जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय उठने तक की सजा व मु0 2000/–रूपये(दो हजार रूपया) का अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को दस दिन का साधारण कारावास भोगना होगा।

दि0 23–7–2019

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
लखीमपुर–खीरी।